कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,
Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–२२१२ /FP/UK/ROAD/41674/2019 :देहरादूनः दिनांकः २० मार्च, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद पौडी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंर्तगत नोड़खाल–माला किमी0 07 से कोटा मोटर मार्ग (लम्बाई–12.050 किमी0) के नव निर्माण हेतु 4.702 है0 वन भूमि का गेर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/154/2020/एफ0सी0/2362, दिनांकः–25.02.2021।

महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार के द्वारा विषयांकित प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसकी अनुपालन आख्या निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के पत्र संख्या–2713/12–1 दिनांक 24.02.2023 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की गयी हैः–

क्र० स०	शर्त	अनुपालन आख्या
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के पत्र संख्या–2713/12–1 दिनांक 24.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के पत्र संख्या–2713/12–1 दिनांक 24.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि राजकीय वन विभाग द्वारा परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3.	प्रतिपूरकवनीकरणः–	
क.	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 9.404 हे० अवनत वन भूमि कुडोग–22, रिखनाड रेंज, चकराता वन प्रभाग, कालसी पर प्रति पूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानिक स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें।	निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के पत्र संख्या–2713/12–1 दिनांक 24.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 9.404 हे० अवनत वन भूमि कुडोग–22, रिखनाड़ रेंज, चकराता वन प्रभाग, कालसी पर प्रति पूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानिक स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें।(प्रमाण पत्र संलग्न)
ख.	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व मे किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।	निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के पत्र संख्या–2713/12–1 दिनांक 24.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र प्रेशित है।(संलग्नक उपरोक्तानुसार)

4.	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमाकन और स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप में वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते है।	निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के पत्र संख्या–2713/12–1 दिनांक 24.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव हेतु वन विभाग के डिमान्ड नोट के अनुसार धनराशि जमा करा दी गयी है।(पत्र संलग्न)
5.	शुद्ध वर्तमान मुल्य	
क.	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय कें P(C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक–30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04. 2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी-(Pt.2) दिनांक–18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक–03.01.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक–05.02.2009 एवं वर्तमान में दिनांक–06.01.2022 द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के 4.702 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मुल्य वसूल करेंगी।	निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के पत्र संख्या–2713/12–1 दिनांक 24.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके रख रखाव हेतु शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि एजेन्सी द्वारा 4.702 है0 43800.00 प्रति है0 की दर से 10 गुना रू0 20594760.00/–की धनराशि सम्बन्धित खाते में RTGS कें माध्यम से जमा की जा चुकी है।
ख.	विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के पत्र संख्या–2713/12–1 दिनांक 24.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यार्वित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा, शपथ पत्र संलग्न ।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेंड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षो की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 183 Tress एवं 22 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में काटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास के कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेंड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षो की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 205 है। पेड़ राज्य वन विभाग के निर्देश में काटे जाएगे एवं विभाग द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडो की कटाई की लागत जमा कर दी गयी है।
7.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in.) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानातरित/जमा किए जाएगें।	निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के पत्र संख्या–2713/12–1 दिनांक 24.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in.) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा कर दिया गया है।
8.	गाईड लाईन में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कडाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई गतिविधि नहीं की जाएगी।	निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के पत्र संख्या–2713/12–1 दिनांक 24.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त के संबध में गाईड लाईन में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कडाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई गतिविधि नहीं की जाएगी।

9.	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के पत्र संख्या--2713/12-1 दिनांक 24.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाणपत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
10.	प्रयोक्ता अभिकरण आई०आर०सी० मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनो किनारों पर पौधों की संख्या बढाएगा।	निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के पत्र संख्या-2713/12-1 दिनांक 24.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आई०आर०सी०मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या को बढाया जायेगा।
11.	सरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएगें।	निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के पत्र संख्या-2713/12-1 दिनांक 24.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएगें।
12.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोग कर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के पत्र संख्या-2713/12-1 दिनांक 24.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त परियोजना के तहत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोग कर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति लागू नही है।
13.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के पत्र संख्या-2713/12-1 दिनांक 24.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
14.	वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के पत्र संख्या-2713/12-1 दिनांक 24.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
15.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरो को राजकीय वनविभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक दिया जाएगा।	निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के पत्र संख्या-2713/12-1 दिनांक 24.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक दिया जाएगा।
16.	सबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर०सी०सी०पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के पत्र संख्या-2713/12-1 दिनांक 24.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन कर दिया गया है।
17.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के पत्र संख्या-2713/12-1 दिनांक 24.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए, निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया माग्र नहीं बनाया जाएगा।
18.	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव मे विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
19.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी

	एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।
20.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम 1980 कर उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक–29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के पत्र संख्या–2713/12–1 दिनांक 24.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त किसी भी शर्त का उल्लघंन नहीं किय जायेगा।
21.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के पत्र संख्या–2713/12–1 दिनांक 24.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित जो भी शर्ते लागू होंगी, वह प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मान्य होगी ।
22.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व विर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगा कर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगीं। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एव सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी।	निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के पत्र संख्या–2713/12–1 दिनांक 24.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व विर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगा कर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगीं। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलवे का निस्तारण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलो पर ही किया जायेगा।
23.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालयआदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रस्ताव में लागू होने वाले समस्त अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश के अधीन जरूरी अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।
24.	टनुपालन रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in.) पर अपलोड की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in.) पर अपलोड कर दी गयी है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के पत्र संख्या–2713/12–1 दिनांक 24.02.2023 द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

20/3/22

(एस0एस0रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड,देहरादून।

संख्या : / FP/UK/ROAD/41674/2019तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के पत्र संख्या–2713/12–1 दिनांक24.02.2023 के कम मे सूचनार्थ
2. उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क, पुरोला ।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0, डुग्गडा, पी0एम0जी0एस0वाई, गढवाल।

(एस0एस0रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड,देहरादून।